मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-10/99/3/एक, भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :—आपराधिक/भ्रष्टाचार के प्रकरणों में निलंबन के बहाल करने विषयक.

संदर्भ :—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक सी-6-2-96-3-एक, दिनांक 17 अप्रैल, 1996.

राज्य शासन ने संदर्भित अधिसूचना दिनांक 17-4-96 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के उपनियम (1) के विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया था :—

"परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अंतर्वलित दांडिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो."

2. साथ ही, नियम-9 के उपनियम (5) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया था :—

"परन्तु नियम-9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये."

3. इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि शासकीय सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अंतर्वलित दांडिक अपराध में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसे निलंबित किया जाना अनिवार्य है. साथ ही, ऐसा किया गया निलंबन तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जावे.

4. राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है और बिना गुण-दोष पर विचार किये एवं बिना समुचित कारण बतलाये संबंधित शासकीय सेवकों को निलंबन से बहाल कर दिया जाता है. यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है.

5. जिस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार या नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण चल रहा हो उसको निलंबन से बहाल करना औपचारिकता मात्र नहीं है. ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये और बहुत अपवादिक प्रकरणों में ही निलंबन समाप्त किया जाना चाहिये. नियमों के इस स्पष्ट प्रावधान का भी पूर्ण पालन किया जाना चाहिये कि निलंबन समाप्त करने के कारण अंकित किये जायें. यह कारण भी बहुत ठोस होने चाहिये. इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि अपचारी अधिकारी साक्ष्य प्रभावित करने की स्थिति में न हो. यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार के निलंबन आदेश को प्रतिसंहृत करने का अधिकार केवल सरकार को है अन्य किसी अधिकारी को नहीं.

6. कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-10/99/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 1999

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल. म. प्र. ग्वालियर.
   निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/जबलपुर/भोपाल/इन्दौर//ग्वालियर/रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
10. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.